

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न .3504 / 316

दिनांक :- 26-7-2019
26-7-2019

कार्यालय आदेश

श्री भगवान सहाय शर्मा [लिंक नं. 3504] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय जल संसाधन विभाग, सचिवालय जयपुर - [1000050] जिनकी जन्म तिथि 14/01/1960 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/08/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/08/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री भगवान सहाय शर्मा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 23/08/1985 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री भगवान सहाय शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 3504 / 316

दिनांक :- 26/7/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. उप शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय जयपुर
3. श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय जल संसाधन विभाग, सचिवालय जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव , निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

(अरविन्द दीवान)

(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)